न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री कानाराम पुत्र लखाजी, जाति- रेबारी, निवासी- धाण, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, धाण जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, धाण, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 27/2019

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 25 फरवरी, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, धाण द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक:2019/77 दिनांक 14.10.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम धाण की आबादी भूमि में प्रार्थी का 20 वर्ष पुराना कब्जे एवं भोगवटे का एक भूखण्ड आया हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी गत 20 वर्षो से शांतिपूर्वक करता आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे: भोगवटे के भूखण्ड की चतुर्दशी ऊर में शंकर पुत्र हमीरजी प्रजापत का पट्टेशुदा मकान, दक्षिण में प्रताप पुत्र दानाजी भील का भूखण्ड, पूर्व में 20 फीट चौडा रास्ता व आगे गजा पुत्र लादाजी कलबी का भूखण्ड एवं पश्चिम में गली छोढकर अटल सेवा केन्द्र स्थित है, इस भूखण्ड का नाप ऊर-दक्षिण 40 फीट एवं पूर्व-पश्चिम 65 फीट कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट है। उक्त चतुर्दशी के मध्य स्थित भूखण्ड जो पूर्व में उबड खाबड था उसे प्रार्थी ने 20 वर्ष पूर्व अपने रुपये खर्च कर भूखण्ड को समतल बनाया है व भूखण्ड का उपयोग घरेलू कार्य के रुप में पशुओं को बांधने व चारा रखने हेतु करता आ रहा है। उक्त भूखण्ड एवं आस-पास के भूखण्ड वर्ष 2001 में नई आबादी हेतु विस्तारित हुये है। उक्त भूखण्ड नई आबादी के बीच में होने से प्रार्थी ने ग्राम पंचायत धाण में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु दिनांक 05.3.2020 को रसीद संख्या 97 पुस्तक संख्या 2 के जरिये 10/- रुपये आवेदन शुल्क, 25/- रुपये नक्शा शुल्क व 25/- मौका शुल्क के इस प्रकार कुल 60/- रुपये ग्राम पंचायत कोष में जमा करवाये है। उसके बाद प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लिये पुनः आवेदन प्रस्तुत

.....पेज दो पर

किया एवं जरिये रसीद संख्या 90 दिनांक 05.2.2013 के द्वारा राशि रुपये 120/- जमा करवाये व ग्राम पंचायत ने राशि स्वीकार कर प्रार्थी को रसीद जारी की है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, धाण ने प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही किया है एवं प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का अतिक्रमी मानकर अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस दिया है, वह विधि सम्मत नही है। ग्राम पंचायत, धाण द्वारा प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में शंकर पुत्र हमीर जी प्रजापत को एवं दक्षिण में प्रताप पुत्र दानाजी भील को पट्टे जारी किये गये। जबकि प्रार्थी का भूखण्ड उक्त दोनों व्यक्तियों के भूखण्ड के बीच में होने के बाद भी ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को उसके उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही किया है। ग्राम पंचायत, धाण में प्रार्थी उक्त भूखण्ड की नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु तैयार है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत; धाण द्वारा प्रार्थी को जानबूझ कर पट्टा जारी नही किया जा रहा है। प्रार्थी के वकील ने यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी भेड पालक है एवं प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ग्राम धाण में कोई भूखण्ड नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(2)(2क) में भेडपालको एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 300 वर्गगज भूखण्ड का नि:शुल्क आवंटन करने का प्रावधान है, इस कारण उक्त नियम 158(2)(2क) के तहत भी 300 वर्गगज भूमि को नि:शुल्क आवंटन कराने का प्रार्थी अधिकारी है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, धाण द्वारा जारी नोटिस को निरस्त किया जावे एवं उक्त भूखण्ड का प्रार्थी को आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत, धाण को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, धाण द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांक:2019/77 दिनांक 14.10.2019 को इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम धाण में आबादी भूमि में बाडा कर अतिक्रमण किया है, ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में नोटिस क्रमांक 96 दिनांक 30.5.2018 के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश दिये गये थे, लेकिन अतिक्रमण नही हटाया गया है, जरिये नोटिस पुन: सूचित किया जाता है कि 10 दिवस में किये गये अतिक्रमण को हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण को हटा दिया जायेगा। इस संबंध के प्रार्थी का मुख्यत: कथन है कि "विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का गत 20 वर्षो से कब्जा है एवं मौके पर प्रार्थी भूखण्ड का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।" लेकिन प्रार्थी ने उक्त कथन के समर्थन में एसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कब्जा हो।

चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत, धाण द्वारा जारी उक्त नोटिस से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ग्राम धाण की आबादी भूमि में बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। एसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: